

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 734/XXIV-ALC-II

Dated 08/10/2020

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.095 hect.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar** for **Construction of Gaumukh to village Dobh (Patiyon) Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of **Dobh (Patiyon) Villages in Jakhnidhar** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.095 Hect.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(  
Distt. Collector  
Tehri Garhwal)



It is further certified that – Minutes of meeting of Gaumukh to village Dobh (Patiyon) Motor Road (0.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>0.095 Hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
जिला पंचायत 38-जामटी  
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित  
प्रमाणित वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी

Signature  
( )  
Distt. Collector

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under  
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act  
(FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District.  
Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of  
Ira. Ashish Srivastava I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the  
applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **0.095 Hectare** for the  
construction of **Gaumukh to village Dobh (Patiyon) Motor Road** in Tehsil  
**Jakhnidhar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed  
and recommended by the Sub Division Level Committee of  
..... Sub Division were discussed to consider the same for  
admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no  
objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee  
recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

District Collector Cum chairman

District Tehri Garhwal  
New Tehri

जिलाधिकारी  
टेहरी गढ़वाल



## प्रपत्र—

परियोजना का नाम:—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 0.500 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

## प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग (0.035 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.060 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात्

कुल 0.070 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जाखणीधार) की दिनांक

21/08/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	प्रिंचाएम चौधरी	उपजिलाधिकारी रिहरी	अध्यक्ष
2—	.	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3—	श्रीमती मनीषा खेवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4—	आशा देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र जाभटी	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.095 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.095 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—  
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—

जनपद







परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 0.500 कि०मी०)।

दिनांक 21/08/020 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद-

1.	श्री फिरोज़ चौधरी	उपजिलाधिकारी टिहरी	अध्यक्ष	 उप जिलाधि- टिहरी गढ़वाल।
2.	श्री	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3.	श्रीमती मनीषा तिवारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी देवप्रयाग जिला
4.	श्री श्रीमती आशा देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र जामटी	सदस्य	 जामटी देवी सदस्य देव प्रयाग जिला देवप्रयाग (100 गज)

परियोजना का नाम—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 0.500 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — डोभ ( तोक पाटियों )

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ग्राम डोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.035 आरक्षित वन भूमि, 0.060 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.095 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आली मल्ली (तोक हलजेन्ट) द्वारा दिनांक 31/10/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निगंत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोभ ( तोक पाटियों ) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....  
वि०ख० देवप्रयाग, टि०ग०

ग्राम प्रधान  
7/11/2020



दिनांक 20/01/2020

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति में ग्राम पंचायत डोभ ( तोक पाटियों )

[illegible]